आदेश पर
बारे में टिप्पणी

(2)

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

रे0मि0 (पी0ए0) अपील सं0 17/2021–22

गोविन्द राय...अपीलकर्त्ता।

बनाम

दीवानी राय...उत्तरकारी।

आदेश

28.12.2021

यह रे0मि0 (पी0ए0) वाद अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका के पी0ए0 वाद सं0–187/2003–04 में पारित आदेश दिनांक–07.09.2021 के विरूद्ध दायर किया गया है जिसमें अपीलकर्त्ता एवं उत्तरकारी को दोनो बराबर–बराबर मत मिलने के पश्चात् भी अपीलकर्त्ता के दावों को अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा यह कहकर अस्वीकृत किया गया है कि :–

1. अपीलकर्त्ता के पिता के जमाबंदी सं0–17 में बलदेव राय के पर्चा में 75 बीघा जमीन दर्ज है, इसके बावजूद वह भूमिहीन लाल पट्टा लिया है।
2. अपीलकर्त्ता झगड़ालू प्रवृत्ति के व्यक्ति है, एवं जमाबंदी जमीन 581 में जबरन मकान बना लिया है।
3. गोचर परती कदीम दाग सं0–265 में बॉध निर्माण कर लिए है।
4. अपीलकर्त्ता उच्च विद्यालय चोरकट्टा में पारा शिक्षक के पद पर कार्य है।

उभय पक्षों के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

अपीलकर्त्ता के विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है :–

1. अपीलकर्त्ता जमाबंदी सं0–07 के जमाबंदी रैयत है। जमाबंदी सं0– 07 दासो राय पिता–कन्हाई राय के नाम से दर्ज है जिसमें कुल रकवा 75 बीघा 19 कट्ठा 19 धूर जमीन है,

(3)

वंशावली के अनुसार उनके हिस्से में मात्र 02 बीघा $7\frac{1}{2}$ कट्ठा जमीन मिला है।

2. अपीलकर्त्ता पर जमाबंदी जमीन 581 में जबरन घर बना लेने गोचर परती कदीम दाग सं0–265 पर बाँध निर्माण कर, अतिक्रमण किये जाने गलत आरोप है। इस संबंध मे काई जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं है। ग्रामीण नक्शा में जमाबंदी 581 नहीं है।

3. उच्च विद्यालय चोरकट्टा वित रहित विद्यालय है। इस विद्यालय में पारा शिक्षक का प्रावधान नहीं है।

उत्तरकारी का विद्वान अधिवक्ता का तर्क निम्न प्रकार है:–

उपायुक्त, दुमका के आर0एम0ए0 वाद सं0–59/07–08 में पारित आदेश दिनांक–14.11.15 के आलोक में अंचल अधिकारी से जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त कर संथाल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–5 के अन्तर्गत रैयतों की सहमति से उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है। 16 आना रैयतों की ओर से अपीलकर्त्ता पर कोई प्रकार का आरोप लगाया गया है। अतः अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश सही है।

अभिलेख में उपलब्ध तथ्य निम्न प्रकार है :–

1. मौजा आगोया अंचल जामा एक प्रधानी मौजा है, उत्तरकारी को उक्त मौजा का प्रधान पद पर अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा दिनांक–13.12.2007 को संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के धारा–6 के अन्तर्गत नियुक्त किया गया था। इसके विरूद्ध उपायुक्त के न्यायालय में रे0मि0 अपील वाद 59/2007–08 दायर किया गया था जिसमें उत्तरकारी के नियुक्ति को निरस्त करते हुए संताल परगना कास्तकारी अधिनियम के

धारा–5 के अन्तर्गत प्रधान नियुक्ति करने हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका को आदेश दिया गया। तत्पश्चात् अनुमंडल पदाधिकारी, दुमका द्वारा मौजा के जमाबंदी रैयतों की सूची प्राप्त कर उभय पक्षों के बीच दिनांक–07.09.2021 को मतदान कराया गया। कुल रैयतों की संख्या 18 है। दोनो पक्षों को बराबर–बराबर 09 (नौ) मत प्राप्त हुए। अपीलकर्त्ता पर विभिन्न प्रकार के आरोप रहने के कारण उत्तरकारी को प्रधान पद पर नियुक्त किया गया।

निष्कर्ष

उभय पक्षों के अधिवक्ताओं को सुनने तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन से स्पष्ट है कि 16 आना रैयतों द्वारा अपीलकर्त्ता पर लगाये अरोपो पर किसी सक्षम पदाधिकारी से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त नहीं किया गया है, जिससे यह सिद्ध हो सके कि उन पर लगाया आरोप सही है। अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा इस पर विवेचना किए बिना ही उत्तरकारी को प्राथमिकता के आधार पर मौजा का प्रधान पद पर नियुक्त किया गया है जो न्याय संगत प्रतीत नहीं होता है।

आदेश

उल्लेखित तथ्य एवं कानूनी प्रावधानों के आलोक अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश को निरस्त करते हुए वाद को अनुमंडल पदाधिकारी के न्यायालय को पुर्नविचारार्थ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलकर्त्ता पर लगाया गया आरापों की जाँच करा कर तथा उभय पक्षों को सुनकर धारा–5 के अन्तर्गत नियमानुसार आदेश पारित किया जाय।

Digitally signed by RAVI SHANKAR SHUKLA
Date: 2022.12.07 14:39:29 +05:30
Location: 169.254.227.244

लेखापित एवं संशोधित

उपायुक्त,
दुमका।

उपायुक्त,
दुमका।

39 ... 28/2/22

3–4